झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–560 वर्ष 2017

कमला देवी .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड राज्य, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची।
3. उपायुक्त, रांची, डाकघर–कचहरी डाकघर, थाना–कोतवाली, जिला–रांची।
4. जिला शिक्षा अधीक्षक (डी0एस0ई0), रांची, कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, रांची, कचहरी कंपाउंड, कचहरी डाकघर, थाना–सदर, जिला–रांची।
5. ब्लॉक शिक्षा विस्तार अधिकारी (बी0ई0ई0ओ0), सोनाहातु, डाकघर एवं थाना–सोनाहातु, जिला–रांची।
6. प्रधानाध्यापक–सह–सचिव, सरकारी प्राथमिक विद्यालय, जहेरडीह, डाकघर–जमुदाग, थाना–सोनाहातु, जिला–रांची।
7. मुचनी देवी, पत्नी–श्री लखिन्दर लोहरा, निवासी ग्राम–जहेरडीह, डाकघर–जमुदाग, थाना–सोनाहातु, जिला–रांची। .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री एच0के0 महतो, अधिवक्ता

उत्तरदाता–राज्य के लिएः– श्री श्रीनु गरापति, एस0सी0 (खान)–II के ए0सी0,

उत्तरदाता संख्या 7 के लिएः– श्री ए0 आलम, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री फैसल आलम, अधिवक्ता

07/08.05.2019 इस रिट एप्लिकेशन में याचिकाकर्ता ने निजी प्रतिवादी को हटाने के बाद उसे संजोजिका (संयोजक) के कर्तव्य को जारी रखने और निर्वहन करने की अनुमति देने की प्रार्थना की है, जिसे याचिकाकर्ता के अनुसार, सोनाहातु ब्लॉक, जिला–रांची के तहत सरकारी प्राथमिक विद्यालय, जौहरडीह में अवैध रूप से नियुक्त किया गया है।

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि सर्व शिक्षा योजना के तहत मध्याह्न भोजन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक संजोजिका (संयोजक) नियुक्त किया जाता है।

3. याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है और ऐसी नियुक्ति के बाद उसने काम करना शुरू कर दिया। यह आरोप लगाया गया है कि मौखिक आदेश के तहत उसे सितंबर, 2016 से संयोजक के रूप में कार्य करने के लिए रोक दिया गया था। वह प्रार्थना करती है कि प्रतिवादी संख्या 7, जिसे नियुक्त किया गया है, को हटाने के बाद उसे अपना काम फिरी से शुरू करने की अनुमति दी जाए।

4. राज्य के वकील ने प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि यह पद राज्य के अधीन नहीं है और न ही किसी वैधानिक प्राधिकरण के अधीन है। वह सरकारी संकल्प का उल्लेख करते हैं जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक स्कूलों में सरस्वती वाहिनी के नाम से उप–समिति होनी चाहिए। सरस्वती वाहिनी की आयोजन समिति आपस में से एक संयोजक का चयन करेगी। उन्होनें कहा कि याचिकाकर्ता का चयन संयोजक के रूप में स्कूल शिक्षा समिति द्वारा किया गया था और सरस्वती वाहिनी के गठन के बाद, उसे उक्त वाहिनी द्वारा हटा दिया गया था। उन्होनें कहा कि स्कूल समिति ने याचिकाकर्ता को संयोजक के रूप में

नियुक्त किया, लेकिन सरकार के प्रस्ताव के लागू होने के बाद, एक बैठक में प्रतिवादी संख्या 7 को नियुक्त किया गया।

5. प्रतिवादी सं0 7 के वकील ने राज्य के वकील के निवेदन का समर्थन किया।

6. मैनें पार्टियों के वकील को सुना।

7. अभिलेखों को देखने के बाद, मैनें पाया कि दिनांक 09.06.2016 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था जो एक सरस्वती वाहिनी के गठन का प्रावधान करता है। यह स्कूल प्रबकंध समिति की उप–समिति है। उक्त संकल्प के अनुसार उक्त सरस्वती वाहिनी के संयोजक को नियुक्त किया जाना है। माना जाता है कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2004 में संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनांक 09.06.2016 के संकल्प के बाद, सरस्वती वाहिनी का गठन किया गया और उसके बाद उक्त उप–समिति ने प्रतिवादी सं0 7 को सरस्वती वाहिनी के संयोजक के रूप में नियुक्त किया। इस प्रकार, यह केवल सदस्यों के बीच में से एक संयोजक का चयन है, जिसे कोई नियुक्ति नहीं कहा जा सकता है। उप–समिति द्वारा याचिकाकर्ता की जगह एक अन्य संयोजक को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार, मुझे पूरी प्रक्रिया में कोई अवैधता नहीं लगती है।

8. तद्नुसार, यह रिट एप्लिकेशन खारिज किया जाता है क्योंकि याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

(आनंदा सेन, न्याया0)